केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना

(वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वनरक्षी (Forest Guard) के 902 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना

ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि– 31/01/2019

विज्ञापन संख्या–01/2019

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में 'वनरक्षी' पद (वेतनमान ₹ 5200–20200 + ग्रेड पे – ₹ 2000 अपुनरीक्षित) में रिक्तियों की संख्या 902 (नौ सौ दो) है।

2. इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2019 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 01/01/2019 से प्रारंभ होगी ।

3. 'वनरक्षी' पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित नियमावली/अधिसूचना/अधियाचना में वर्णित/विहित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा की जायेगी – **(i)** गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, सरकार के पत्र संख्या 105/का0नि0–14/2016 गृ0आ0 6262, दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से प्राप्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का अधियाचना पत्रांक–144/स्था0/78/2013–**1690/प0व0**, दिनांक 08. 06.2018, **(ii)** बिहार गजट (सं0 पटना 694) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर, 2013 **"बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013"** **(iii)** बिहार गजट (सं0 पटना 299) पटना, वृहस्पतिवार, 13 मार्च, 2014 **"बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014"** **(iv)** बिहार गजट (सं0 पटना 960) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2017 **"दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण के संबंध में"** **(v)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1756/प0व0, दिनांक 18.06.2018 (लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्वरूप), **(vi)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या–11/आ0नी0–1–10/2015–**सा0प्र0–2526**, दिनांक 18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण), **(vii)** बिहार गजट (सं0 पटना 1006) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2015 सामान्य प्रशासन विभाग, पटना, का संकल्प ज्ञापांक–13185, दिनांक–03.09.2015 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी को 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के संबंध में), **(viii)** बिहार गजट (सं0 पटना 60) पटना, बुधवार, 20 जनवरी, 2016, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक–963, दिनांक–20 जनवरी, 2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में), **(ix)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या 2342, दिनांक 15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु

का निर्धारण), **(x)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक वन अरा0स्था0–40/2013–**2950/प0व0,** दिनांक 15.10.2018, **(xi)** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार का ज्ञापांक वन अरा0स्था0–40/2013–3210/प0व0, दिनांक 20.11.2018 द्वारा संसूचित अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का वृत्त।

4. अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्षद के वेबसाइट (Website) www.csbc.bih.nic.in पर ऑन–लाइन समर्पित करेंगे।

5. **रिक्ति :–** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना का अधियाचना पत्रांक–144/स्था0/78/2013– **1690/प0व0**, दिनांक 08.06.2018 के अनुसार 'वनरक्षी' पद पर रिक्ति की संख्या 902 (नौ सौ दो) है।

क्र0सं0	**कोटि**	**पदों की संख्या**
01	सामान्य वर्ग (अनारक्षित)	451
02	अनुसूचित जाति	145
03	अनुसूचित जनजाति	09
04	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	162
05	पिछड़ा वर्ग	108
06	पिछड़े वर्गों की महिला	27
योग–		**902**

6. **कट ऑफ तिथि :–** सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के लिए कट–ऑफ तिथि **01 जनवरी, 2019** निर्धारित की जाती है।

7. **आरक्षण :–**

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) **महिलाओं के लिए प्रावधान :–**

आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(iii) **<u>बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए प्रावधान</u> :–**

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iv) **<u>बिहार राज्य के दिव्यांगों के लिए प्रावधान</u> :–**

(क) बिहार गजट (सं0 पटना 960) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर, 2017 सामान्य प्रशासन विभाग का **संकल्प संख्या 11/आ0नी0–1–06/2017–13062/सा0प्र0, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 की कंडिका 2(iv) के द्वारा परिभाषित दिव्यांगता के अधीन** ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' की धारा 34 के तहत दिव्यांगों के लिए 04 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण अलग से नहीं बल्कि चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उनका सामंजन उसी श्रेणी के विरूद्ध किया जायेगा अर्थात् आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के दिव्यांग संगत आरक्षित वर्ग से और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध सामंजित किये जायेंगे।

(ख) <u>आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा</u> – केवल ऐसे उम्मीदवार सेवाओं / पदों में आरक्षण के पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। उम्मीदवारों को बिहार गजट (सं0 पटना 960) के अनुबंध–I में दिये गये प्रारूप में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) जहाँ किसी भर्ती वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34 के अधीन किसी रिक्ति के विरूद्ध उपयुक्त दिव्यांग व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, तो इसे उसी समव्यवहार में चारो प्रवर्गो के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, नियोजक दिव्यांग व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा, वहाँ ऐसी रिक्ति अगले वर्ष में अग्रणित नहीं की जायेगी।

(v) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ''बिहार अधिनियम–3, 1992 (अद्यतन)'' की कंडिका 4 (2) के परंतुक 4 के अनुसार **''बिहार राज्य के बाहरी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे''।** अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में स्वयं को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त हो सकता है।

8. <u>''वनरक्षी'' पद पर आवेदन हेतु पात्रता</u> :–

8.1 अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता :– ''वनरक्षी**''** पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / काउन्सिल से इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

8.2 अभ्यर्थी की उम्र ''मैट्रिक अथवा समकक्ष'' परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :–

(1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 23 (तेईस) वर्ष।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अठाईस) वर्ष।

(4) बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पाँच (05) वर्षों की छूट दी जायेगी।

(5) सभी वर्गों (आरक्षित/अनारक्षित) के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी।

(6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8.3 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड –

(क) पुरुष अभ्यर्थी –

क्रमांक	**शारीरिक प्रमाप**	**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति**	**अन्य**
1.	न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर	165 सेंटीमीटर
2.	न्यूनतम सीना (बिना फुलाए)	79 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
3.	सीना का न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	05 सेंटीमीटर
4.	पैदल चलने की क्षमता	04 घंटे में 25 किलोमीटर	04 घंटे में 25 किलोमीटर

(ख) महिला अभ्यर्थी –

क्रमांक	**शारीरिक प्रमाप**	**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति**	**अन्य**
1.	न्यूनतम ऊँचाई	155 सेंटीमीटर	160 सेंटीमीटर
2.	पैदल चलने की क्षमता	04 घंटे में 14 किलोमीटर	04 घंटे में 14 किलोमीटर

9. चयन की प्रक्रिया–

(क) प्रथम चरण – 'लिखित परीक्षा' – (i) आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र जिसमें 100 (एक सौ) वस्तुपरक (बहुविकल्पीय प्रश्न) प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न–पत्र के लिए 02 (दो) घंटों की अवधि दी जायेगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिन्दी भाषा का ज्ञान छोड़ कर, प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किये जायेंगे।

(ii) प्रश्न–पत्र – दो घंटों के एक प्रश्न–पत्र में चार भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार (04) अंक देय होगा। भाग–1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भूगोल, भारतीय राज्यतन्त्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–2 में 25 प्रश्न दसवीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्ययन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–3 में 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव–विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–4 में 20 प्रश्न हिन्दी भाषा का ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–4 का उद्देश्य हिन्दी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है।

(iii) पाठ्यक्रम – लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट पर Syllabus शीर्ष के अन्दर Syllabus for Adv. 01/2019 टैब पर देखा जा सकता है तथा वहाँ से Download किया जा सकता है ।

(iv) ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) – उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे :

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिये जाने वाले अंकों का एक तिहाई दंड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा, चाहे दिये गये उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और प्रश्न के लिए क्रमांक (क) के अनुसार ही दण्ड होगा।

(ग) यदि, प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(v) ओ0एम0आर (OMR) शीट :– लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा–रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

(vi) <u>**दृष्टिहीन या कम दृष्टि दिव्यांग के लिए**</u> **:–** दिव्यांग अभ्यर्थी जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि के हैं उनके लिए लिखित परीक्षा में श्रुतिलेखक की व्यवस्था पर्षद द्वारा की जायेगी। दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ–साथ प्रतिघंटा पन्द्रह (15) मिनट की दर से तीस (30) मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

(vii) <u>**सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 द्वारा लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हतांक (Cut-off Marks) ''सामान्य वर्ग 40 प्रतिशत; पिछड़ा वर्ग 36.5 प्रतिशत; पिछड़ा वर्ग एनेक्श्चर–1 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) 34 प्रतिशत; अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं एवं दिव्यांगों के लिए 32 प्रतिशत'' निर्धारित है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।**</u>

(viii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों में से विज्ञापित रिक्तियों के दो गुणा अनुपात (1:2) में मेधानुसार प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक परीक्षण / दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(ix) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण / दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(ख) द्वितीय चरण – 'शारीरिक परीक्षण/दक्षता परीक्षा' –

(1) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पर्षद द्वारा एक मेधा सूची तैयार की जायेगी । मेधा सूची में स्थान पाये उम्मीदवारों में से कंडिका 9(क)(vii) के अनुसार चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण कराया जायेगा । शारीरिक परीक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा । शारीरिक मापदण्ड/दक्षता कंडिका 8.3 के अनुसार होंगे । न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे । ''बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013'' के परिशिष्ट 'क' का नियम 4(iii) के अनुसार शारीरिक मापदण्ड/मानदण्ड की जॉंच के अतिरिक्त चिकित्सीय जॉंच भी की जायेगी।

(2) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक वन अरा0स्था0–40/2013–**2930/प0व0,** दिनांक 15.10.2018 के माध्यम से प्राप्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का पत्रांक 144/स्था0 78/2013 – **2490/प0व0,** दिनांक 12.09.2018 की कंडिका 7 के अनुसार ''सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 13062, दिनांक 12.10.2017 द्वारा निहित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पैदल चलने की क्षमता की जॉंच नहीं की जाएगी।

10. <u>**चिकित्सकीय जॉंच**</u> **:–** नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का विहित रीति से चिकित्सकीय परीक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा गठित समिति द्वारा कराया जायेगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

11. <u>**मेधा सूची एवं चयन की अनुशंसा**</u> – ''वनरक्षी'' पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए <u>**मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार**</u>

की जायेगी। लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर; एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा । इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार को नियुक्ति हेतु भेजी जायेगी ।

12. <u>अभ्यर्थी का सत्यापन</u> :– वनरक्षी पद हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के पूर्व सम्पुष्टि कर ली जायेगी कि उनका पुलिस सत्यापन प्राप्त किया जा चुका है। नियुक्ति पदाधिकारी चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों के नियुक्ति के पूर्व उनकी पहचान भली–भाँति जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे।

13. <u>आवेदन प्रक्रिया</u> :– (i) ‘‘वनरक्षी’’ पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । **दिनांक–01/01/2019 को 12:00 बजे मध्याहन से ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।** पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट–**<u>www.csbc.bih.nic.in</u>** पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन–पत्र का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य `450/–(चार सौ पचास रूपये) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं दिव्यांग (आरक्षित/अनारक्षित) अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य `112/–(एक सौ बारह रूपये) है।

(iii) उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रॉन्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।

14. <u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश</u> :–

(i) ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें। <u>यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।</u>

(ii) ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ‘Forest, Environment & Climate Change Dept.’ के Tab या ‘Advts by Group’ में जाकर ‘‘Advt. No. 01/2019’’ पर क्लिक करेंगे। इसी

पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक कर आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

(iii) अभ्यर्थी पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई0डी0 रखें जो यथासम्भव अभ्यर्थी के नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 अनिवार्य है।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) को अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान यथा आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) पर साझा की जा सकती हैं।

(iv) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई–मेल आई0डी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। पर्षद गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किये गये मोबाइल नम्बर या ई–मेल आई0डी0 के कारण होने वाली असुविधा/संवादहीनता के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

(v) अभ्यर्थी को मात्र आवेदन–पत्र के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए । किसी भी मामले में भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी । अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि सामान्यतः 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाती है।

(vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

(vii) **<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा</u> :–**

(क) **भाग–I** में अभ्यर्थी का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी से संबंधित राज्य के निवासी, श्रेणी/कोटि, लिंग, दिव्यांग होने संबंधी जानकारी, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई0डी0 एवं जन्म तिथि आदि की जानकारी ली जाती है तथा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail पर भेजा जाएगा।

(ख) **भाग–II –** ऑनलाइन आवेदन–पत्र भाग–I में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद, ऑनलाइन आवेदन–पत्र भाग II में अभ्यर्थी को वांछित सूचनाएँ एवं शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद **(i)** आवेदक का फोटोग्राफ (रंगीन एवं एक माह के अंदर का खिंचा हुआ, जिसका बैकग्राउन्ड सफेद हो, 20 से 50 के0बी0 के बीच का, .jpg/ .jpeg फॉरमेट में, कम से कम 200 dpi (200px width X 230px height) का), एवं **(ii)** हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में अलग–अलग, 10 से 20 के0बी0

के बीच का, .jpg/.jpeg फॉरमेट में, कम से कम 200 dpi (200px width X 60px height) का, जो सफेद बैकग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन–पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई–मेल आई0डी0 पर एक SMS/E-mail प्राप्त होगा तभी आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी । अभ्यर्थी अपना भरा हुआ आवेदन–पत्र A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली–भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

(viii) आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(ix) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(x) अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे । आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरें । **प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**

(xi) आवेदन–पत्र में यदि अभ्यर्थी गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी । अतः अभ्यर्थी पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं ।

(xii) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी **कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की **वेबसाइट– http://gad.bih.nic.in/** पर समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

15. महत्वपूर्ण निर्देश :–

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन–पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को भेजने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

(ii) **गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र को सुधारने की प्रक्रिया :–**

यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उनके आवेदन–पत्र में गलत प्रविष्टि हो गयी है तो **भुगतान की प्रक्रिया के पूर्व अभ्यर्थी एक बार अपने आवेदन–पत्र के भाग–II** में सुधार कर सकते हैं।

(iii) **गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र को रद्द कर नया आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया :–**

यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो अभ्यर्थी अपने पुराने आवेदन पत्र

को रद्द कर पुनः फीस जमा कर, नया आवेदन–पत्र भर सकते हैं । यह सुधार मात्र एक बार ही किया जा सकता है।

16. <u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि</u> :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि–31/01/2019 निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा । डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन–पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. <u>अभ्यर्थीत्व रद्दीकरण</u> – अभ्यर्थी का अभ्यर्थीत्व अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों के पाये जाने पर बिना सूचना दिये रद्द किया जा सकता है :

(i) आवेदन पत्र का भाग–I भरा जाना परन्तु भाग–II को भर कर upload न करना।

(ii) आवेदन का फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना।

(iii) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना।

(iv) आवेदक द्वारा आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।

(v) आवेदक द्वारा गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।

(vi) आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।

(vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।

(viii) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे – विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण न करना अथवा विर्निदिष्ट तिथि तक न्यूनतम शौक्षणिक योग्यता प्राप्त न होना, भारत का नागरिक न होना आदि।

(ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।

(x) प्रमाण–पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे –

(क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो), पिता के नाम के साथ समर्पित करने के स्थान पर पति के नाम के साथ प्रमाण–पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से ।

(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को एक आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि ।

(xi) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड/गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना ।

(xii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।

(xiii) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।

(xiv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरूद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरूद्ध पाई जाए।

18. आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन–पत्रों की जॉंचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर परीक्षा/चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवेश–पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती हैं, अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई–मेल आई0डी0 सक्रिय/जारी रखें एवं नियमित रूप से मोबाइल फोन मैसेज / ई–मेल की जॉंच करें।

19. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे । किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार के अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा– पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भाधान आदि) में मान्य नहीं होंगे।

ह0/–
अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

<u>ज्ञापांक–25/के0च0प0(सू0)</u>

दिनांक–31/12/2018

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,
सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना– 800023

प्रतिलिपिः–

1. **अपर मुख्य सचिव**, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।
2. **अपर मुख्य सचिव,** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।
3. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।

ह0/–
अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना